

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान आंन उन्नाश बनाम दीपल सिंह
किस्म मुकदमा शा. नं. ३९ मुकदमा नं. ३५ सन् 20१७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
01/07/19	<p>वकील जर्गी श्री सुभाष नैहरा ने हाजिर अकालत होकर डा. फत्र सी. सिंह दर्ज किया। डा. फत्र पर पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। डा. फत्र पर जर्गी अधिवक्ता की एक फीच बहस सुनी गई। फतावली पर दलील व साक्ष्य से उच्छेद प्रथम दृष्टया माफला, सुविधा का सबलन एवं अप्रुणीय इति का पाया जाने पर आगामी तारीख पेशी तक अस्थायी निर्बंधावा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्ष विधिक बंटवारा के बिना विवादित भूमि ख. नं. 453, 454 तक ग्राम मलिकपुर का बंचान, अन्तर्गत नहीं करें, भूमि को बिना विधिक आदेश के कृषि से अकृषि में उपयोग ना करें। यह आदेश राहती पर लागू नहीं होगा। अपरबीगण की राहती जरिये सम्पत्त की जाकर फतावली दिनांक 01/08/19 को पेश हो। जर्गी 0.39 R.03 CPC की पालना करें।</p>	<p>23/9-20 3-7-19</p>
01-08-19	<p>पतावली पेश हुई। वकील जर्गी अधिवक्ता। भूपर्षी स०१ के डाटे से प्रबाब प्रार्थना पर पेश वकील श्री DP सेना द्वारा किया जाया। जवाब के तमाम वकील जर्गी को दिमाद जावे। भूपर्षी शेष। ता 8 की तारिके मांकेल वरु आदी</p>	

कार्ड-2019 को पेश है।
दिनांक 27-8-19 को पेश है।

23/9/19 पत्रावली पेश हुई। वनूलाय रघु / अनुपस्थित / पीठ तीन / अधिकारी दोर पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-21/10/19 को पेश हो।

21/10/19 पत्रावली पेश हुई। वनूलाय रघु / अनुपस्थित / पीठ तीन / अधिकारी दोर पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-21/11/19 को पेश हो।

21/11/19 पत्रावली पेश हुई। वनूलाय रघु / अनुपस्थित / पीठ तीन / अधिकारी दोर पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-31/12/19 को पेश हो।

31/12/19 पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिकारी अनुपस्थित रहे। प्राची व प्राची अधिकारी का बार-बार आवाजें डिलापी गयी कावश्य आवाजें प्राची की ओर से कोई हाजिरे नहीं आये और प्राची का प्राथमिक अदम पैरवी अदम हाजरी में खरीज किया जाता है। पत्रावली परम शुभार होकर नम्बर ल कम हो बाद तकमिल दायिमल पेश है।



(रणजीत सिंह 1983)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)